उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजरी

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से शत-प्रतिशत हाजरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप (एनएमएमएस) के माध्यम से शत-प्रतिशत हाजरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है।
- इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। इसके लिये ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी ज़िलाधिकारियों व ज़िला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा-निर्देश दिये हैं।
- आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए और इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर की जानी चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अभियान (मनरेगा) भारत में लागू एक रोज़गार गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में 7 सितंबर, 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के काम करने के अधिकार की कानूनी गारंटी प्रदान करना और उनकी आजीविका को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/100-attendance-of-mgnrega-workers-to-be-done-through-app-in-uttar-pradesh